

N.O.C

प्रा.सं-10/ग.सं.11/2017-1137 :

विद्यार्थी संस्थान,  
मानव संसाधन विभाग, विभाग

प्रति,

प्रधान मंत्री,  
सरकार के संसदीय सचिव ।

सेवा में,

श्री श्री श्री,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
विभाग केन्द्र, 2, रामपुरी रोड,  
नई दिल्ली-110092 ।

दिनांक- 18 जून, 09 ।

विषय:- न्यू लोरियन स्कूल, गीडवुड रोड प्रति मानव संसाधन विभाग को  
अनुमति प्रदान करने संबंधित ।

महोदय,

उपरोक्त विद्यालय के संबंध में विद्यार्थी संस्थान द्वारा सूचित करना है कि सरकारी  
संविधान संख्या 239, दिनांक 27-11-2006 के अंतर्गत में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थी  
मानव संसाधन विभाग के प्रमुख को विद्यार्थी संस्थान के द्वारा उपबंध कराये  
गये विद्यार्थी संस्थान की माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु सशक्त विभागीय  
समिति द्वारा की गई तथा न्यू लोरियन स्कूल, गीडवुड रोड प्रति मानव संसाधन  
विभाग को संविधान संख्या 239, दिनांक 27-11-2006 के अंतर्गत में अनुमति प्रदान  
करने की अनुमति दी गयी है। समिति की अनुमति के आशय में माध्यमिक  
विभाग विभागीय विवरण है:-

1- यह विद्यालय न्यू लोरियन एजुकेशन एण्ड टाईलरिंग सेक्टर द्वारा के  
अधीन संचालित है। यह स्कूल में किसी एक कक्षा/परिचर का प्रभुत्व नहीं है।  
सोलाह से के प्रत्येक कक्षा का समोरा विद्यार्थी संस्थान के द्वारा उपबंध करी दिया  
गया है।

2- विद्यालय के किसी विद्यार्थी/सोलाईटी/विद्यार्थी के फ्रेन्डशिप अथवा  
किसी विद्यार्थी के केंद्र का उपयोग नहीं करने का प्रावधान किया है ।

3- विद्यालय को प्रशासन में जाने संबंधित कक्षा में संचालित है, जहाँ  
140000 प्रति प्रति ही को भी संचालित है। विद्यालय को पर्याप्त सुविधाओं  
सुविधाओं का संचालन भी उपबंध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को  
संयत विद्यार्थी संस्थान द्वारा सूचित करने के लिए कि विद्यालय की प्रतिक्रिया  
संचालन एवं सुविधाओं को संचालन के सुचारु है ।

100030- @ 100030  
Jelly

4- विद्यालय में विद्यार्थियों को नियुक्ति आश्वासन पत्रों में विभाजन विभाजनकर विहित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है, परन्तु रक्षा कोर्ड काक्ष प्रमुख को किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर पाया जाता बरती गई हो। विद्यालय में 17 शिक्षक हैं। सी0डी0स्न0र्0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया राष्ट्रीय आयोग शिक्षण पदों के माध्यमों के अनुसार है।

5- विद्यालय में विद्यार्थी अभिभावक का से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6- विद्यालय द्वारा निर्धारित सुक्तों, वार्षिक वेतन अकेला तथा वार्षिक प्रोत्साहन प्रदत्त की मांगें करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुसार कार्यवाही करें जो सी0डी0स्न0र्0, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7- विद्यालय के द्वारा विहित का से समाप्ति की गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 233 दिनांक 3-4-2005 में उल्लेखित ओरिजिनल संदर्भ परीकार है। जो निम्न प्रकार है :-

2.11 विद्यालय में वेतन का 25 प्रतिशत नामांकन पद्धति में विचार करने वाले विचार के बच्चों को विशुद्ध किया जायेगा तथा उन्हें दूधन सुक्त प्रथम श्रेणी अथवा प्रथम श्रेणी नहीं किया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुप्राणित नानि प्रथम श्रेणी प्रथम, प्रथम श्रेणी विद्यार्थी का विचार तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिसकी आय अधिकतम 60,000/-रु प्रथम होगी।

2.11.1 विद्यालय में नर्सरी/कोचीन तथा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए श्रेणी 1- की प्रथम श्रेणी का बच्चा परिवारों से। माता/पिता सहित सभी विचार जायेगा। यदि नामांकन के लिए प्रथम श्रेणी क्षमता ने अधिक हो तो तो इसे श्रेणी में Drawn off कोर्ड के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

2.11.1.1 नर्सरी/कोचीन तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रथम श्रेणी वाले बच्चों का विद्यालय के आश्वासन की तुरती अधिका एत विशेषीकर सभी उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिका तुरती 3 किगोमीटर तक रहेगी।

8. 2.11.1.2 इन बच्चों का नामांकन नहीं होगा है उनसे ही गई आश्वासन सुक्त की शक्ति का 90 प्रतिशत प्रति मास मांगे की आश्वासन होगी।

9- यद्यपि कि विद्यालय का विद्यार्थी विभागीय वसाधिका रिपोर्ट के द्वारा किया गया है किर भी सी0डी0स्न0र्0, नई दिल्ली अपने स्तर जांच कर यह सुनिश्चित ने है कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संयोजित है।



